न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 1/2021 (बांसवाड़ा आर्डर)

फतह सिंह पिता किशोर सिंह, जाति राजपूत, निवासी टामटिया, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. चन्द्रवीर सिंह पिता दलपत सिंह, जाति राजपूत, निवासी टामटिया, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. भूमिधारी तहसीलदार, बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत नियम– 17 राजस्थान उपनिवेशन (माही परियोजना में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विकय) नियम 1984 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा दिनांक 11.09.2019 प्रकरण सं0 2/2011

---/---

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री मुकेश द्विवेदी अभिभाषक अपीलान्ट

2. श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट सं0 2

---::---

निर्णय **दिनांक 20–02–2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 17 राजस्थान उपनिवेशन (माही परियोजना में सरकारी भूमि का आवंटन तथा विकय) नियम 1984 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम टामटिया, तहसील व जिला बांसवाड़ा में खसरा नंबर 489 रकबा 4 बीघा भूमि स्थित है, जिसे अप्रार्थी संख्या 1 ने पटवारी हल्का से मिलीभगत कर दिनांक 20–0–1985 को अपने नाम आवंटित करवा ली, जबकि उक्त आराजी के 3 बीघा पर प्रार्थी का पुराना कब्जा होकर आज भी मौजूद है, जिससे लगती हुई प्रार्थी की पैत्रृक खातेदारी की आराजी नंबर 484/2 रकबा 2 बीघा स्थित है। अप्रार्थी आवंटन दिनांक को नाबालिग था [illegible] आवंटन नहीं किया जा सकता है, लेकिन अप्रार्थी के पिता ने कानून की अवहेलना करते हुए मिलीभगत से आवंटन करवा लिया है। आवंटन पर पर्याप्त सदस्यों के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:31:06 IST
Reason: SelfAttested

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर सत्यमेव जयते

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

हस्ताक्षर नहीं है तथा आवंटन नियमों की पालना नहीं की गयी है। अतः उक्त आवंटन निरस्त किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त प्रार्थना पत्र के खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसे विधिवत आवंटन किया गया है तथा आवंटन शर्तो की पालना किये जाने के कारण उसे खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 11–09–2019 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 19–03–2021 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को सम्मन नोटिस जारी कर तलब किये जाने पर औपचारिक पक्षकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 पर बहस करते हुए बताया कि अपीलान्ट अस्वस्थ होने, ज्ञान एवं शिक्षा की कमी होने तथा सीनियर सिटीजन होने व कोविड–19 की महामारी के कारण अपने अभिभाषक से सम्पर्क नहीं कर सका, जिससे अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में देरी को क्षमा किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही दोहराया तथा बताया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में आवंटन नियमानुसार नहीं किया गया है। वक्त आवंटन रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 नाबालिग था, कानूनन नाबालिग [illegible] किया ही नहीं जा सकता। आवंटन पश्चात [illegible] की पालना नहीं की गयी है। कब्जा आज भी [illegible] रहा है, लेकिन अधिनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:31:06 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त करते हुए रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट की यह आपत्ति की वक्त आवंटन रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 नाबालिग था, किन्तु इस बाबत् उनके द्वारा कोई पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। जहां तक कब्जे का प्रश्न है, कब्जे बाबत् भी कोई प्रमाणन नहीं है तथा यदि अपीलान्ट का कब्जा मान भी लिया जावे तो वह बतौर अतिक्रमी है तथा अतिक्रमी का कोई लोकस स्टैण्डाई भी नहीं होता। आवंटन वर्ष 1985 में हुआ है, जबकि अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र वर्ष 2011 में प्रस्तुत किया गया, जो करीब 26 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। अपीलान्ट का यह कथन कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गयी है, जबकि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो पालना किये जाने के कारण ही उसे खातेदार अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं। तद्नुसार हम अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि की जाना हम नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11–09–2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 20–02–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:31:06 IST
Reason: SelfAttested